संख्या 4/1/2008 का 2 2008

प्रेषक,

जे० एस० दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2008

विषय :– ऐसी सेवाएं जो पूर्व में सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थीं अथवा कार्यालयों के रख–रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था किन्तु अब अनुबन्ध के आधार पर Out-sourcing के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने के कारण उत्पन्न होने वाले रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

कण्डिका संख्या 2

अवगत है कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी अन्यान्य निर्देशों के साथ–साथ यह भी निर्देश प्रसारित है कि सामान्यतया नये पद सृजित न किये जाय, और जहां कहीं आवश्यकता हो अनुबन्ध Out-sourcing पर कार्य कराया जाय। शासन के उक्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा ऐसी सेवाएं जो पूर्व में उनके द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थीं अथवा अपने कार्यालयों के रख–रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था तथा अब उसे अनुबन्ध (Out-sourcing) के आधार पर सम्पन्न कराया जा रहा है या भविष्य में भी इस प्रकार अनुबन्ध (Out-sourcing) के आधार पर कार्य सम्पन्न कराये जायं उनमें भी रोजगार के समान अवसर सुलभ होंगे।

2–वर्तमान सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता प्रदेश के सर्वसमाज के लोगों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों को एक अभियान चलाकर भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्तानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को देखते हुए कर्मियों के सेवायोजन के अवसरों एवं तद्क्रम में आरक्षित पदों में कमी की सम्भावना न हो इस हेतु ऐसी स्थिति में सृजित होने वाले रोजगार में भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

3 अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा ऐसी सेवाएं जो पूर्व में उनके द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थी, अथवा अपने कार्यालयों के रख–रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था यदि अनुबन्ध (Out-sourcing) के आधार पर सम्पन्न कराये जाते हैं तो ऐसे कार्यों हेतु होने वाले करार में यह भी सन्निहित होगा कि इस प्रकार उत्पन्न कुल रोजगार का 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, 02 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान किया जाय। उक्त व्यवस्था लोक निर्माण, सिंचाई, ग्राम्य विकास इत्यादि विभागों के ऐसे कार्यों में लागू नहीं होगी जो परम्परागत रूप से ठेके के आधार पर सम्पन्न कराये जाते हैं।

34 Sa Niyukti

4–उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे0 एस0 दीपक,

प्रमुख सचिव।

संख्या-4/1/2008-का-2-2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

वी0 एन0 दीक्षित,

सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 34 सा० नियुक्ति 2010 (2629)-1000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

34 Sa Niyukti Data-2